

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD., NEW DELHI
PERSONNEL DIVISION
(IR Section)

STC/CO/PER/IR/02005(Vol-II)/2006

24th June 2020

CIRCULAR No.IR/19/2020

Sub: Preventive measures to contain the spread of COVID-19

In continuation of earlier Circular No.IR/17/2020 dated 10.06.2020, in order to ensure implementation of social distancing and prevention of spread of COVID-19 at work places, it has been further decided that with immediate effect all staff employees both at C.O. and Branches will work from home till 30.06.2020. However, in case of exigencies, the Divisional Heads/Branch Managers may call the staff employees as per requirement.

2. Other conditions remain unchanged.
3. This issues with the approval of the Competent Authority.


(S. K. Meena) 24/6/2020

Jt. General Manager (Pers.)

By E-mail:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Directors/CVO
- PS to CFO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

Copy to

- DGM(F)(A&E), CO
- GS, STC Officers' Association
- GS, STC Employees' Union
- GS, SC/ST Employees' Association
- Notice Board
- Website

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औ.सं. प्रभाग)

एसटीसी/मुख्या/कार्मिक/औ.सं/02005(खंड-II)/2006


24 जून, 2020

परिपत्र सं. औ.सं./19/2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए निवारक उपाय।

पूर्ववर्ती परिपत्र सं. औ.सं/17/2020 दिनांक 10.06.2020 के आगे, सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने और कार्यस्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुनः यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से दिनांक 30.06.2020 तक मुख्यालय और शाखाओं के सभी स्टाफ कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। तथापि, बाध्यकारी परिस्थितियों में प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक आवश्यकतानुसार स्टाफ कर्मचारियों को कार्यालय में बुला सकते हैं।

2. अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(एस.के. मीणा) 24/6/2020

संयुक्त महाप्रबंधक(कार्मिक)

ई-मेल द्वारा:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक-गण/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- मुख्य वित्त अधिकारी के निजी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष
- सभी शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि:

- उप महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय
- महासचिव, एसटीसी ऑफिसर्स एशोशिएशन
- महासचिव, एसटीसी, कर्मचारी संघ
- महासचिव, एससी/एसटी कर्मचारी एशोशिएशन
- नोटिस पट्ट
- वेबसाइट